कार्यालय संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद

क्रमांक / शिक्षा.स्था.3 / 2120 / मा.शि. / 2021 / होशंगाबाद दिनांक 29/12/21

//आदेश//

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 24.06.2021 को जारी किया गया । इस क्रम में जारी प्रावधिक चयन सूची के अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षक के पद पर **विज्ञान** विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है ।

Sr	NAME	ADDRESS	ROLLNO	RANK	CATE GORY	SELECTED CATAGORY	POSTING PLACE	DISTRICT-BLOCK
1	NAVEEN KUMAR CHOURASIYA	FLAT NO 101 698 R MAHALAXMI NAGAR INDORE INDORE IND MADHYA PRADESH 452010	84926636	8	OBC	UR/X/OP	MS Sontlai-23370404502	HOSHANGABAD-KESLA
2	DINESH KUMAR BADGOTA	85 RONSLA RONSLA PACHORE RJH MADHYA PRADESH 465685	85130871	11	UR	UR/X/OP	UM.Semarikhurd-23370400208	HOSHANGABAD-KESLA
3	UNNATI BHATNAGAR	9204 BLOCK 9 , SOUMYA PARKLANDS AWADHPURI , BHEL BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462022	84805880	17	EWS	UR/X/F	High school girl sukhatwa-23370413702	HOSHANGABAD-KESLA
4	GAUTAM CHANDRA KUSHWAHA	GRAM AND POST ASATI NIWARI TEHSIL NIWARI TKG MADHYA PRADESH 472442	85068798	18	OBC	GF/UR/X/OP	High School Bhargada-23370409203	HOSHANGABAD-KESLA
5	NAVEEN KUMAR	S/O RAJESHWAR SINGH VILL -POST- SEMARI, PS-DAWATH SEMARI SEMARI ROHTAS BIHAR 802211	84796111	20	UR	UR/X/OP	EXL.HSS GIRLS SHAHPUR-23351003912	BETUL-SHAHPUR
6	VIKRAM SINGH NAMDEO	181 NAYAGAON NAYAGAON NARSINGHPUR NSP MADHYA PRADESH 487114	84793273	51	OBC	GF/UR/X/OP	HSS BOYS SHAHPUR-23351003911	BETUL-SHAHPUR
7	VANDANA GARG	KIDWAI WARD KOTHI BAZAR BETUL BETUL BETUL BET MADHYA PRADESH 460001	84775475	58	UR	UR/X/F	M.S.CHICHOLI-23350600202	BETUL-CHICHOLI

8	AMIT KUMAR SONI	507/2 ARERA CONVENT SCHOOL KOLAR ROAD BHOPAL HUZUR BHP MADHYA PRADESH 462042	84803591	103	OBC	OBC/X/OP	EXL.HSS BOYS BHAINSDEHI-23350413314	BETUL-BHAINSDEHI
9	KULDEEP VERMA	222 UDINA VILLAGE UDINA BHANDER DAT MADHYA PRADESH 475336	84779338	131	OBC	OBC/X/OP	M.S.BANJARIDHAL-23350714402	BETUL-GHORADONGRI
10	AMIT TIWARI	NA WARD NO 8 JAYSTAMBH PARK BAZARIYA VIDISHA VID MADHYA PRADESH 464001	84797119	135	EWS	EWS/X/OP	M.S.SHANTIPUR-2-23350703403	BETUL-GHORADONGRI
11	JITENDRA SINGH KUSHWAH	A-9 SADA SHIV NAGAR KOTESHWAR ROAD BAHODAPUR GWALIOR GWL MADHYA PRADESH 474012	84778492	145	EWS	EWS/X/OP	M.S.BATKIDOH-23350704803	BETUL-GHORADONGRI
12	PRIYANKA RATHORE	18 WARD NO 10 RAMLEELA MARG RAISEN RSN MADHYA PRADESH 464551	84661902	175	OBC	OBC/X/F	HSS GIRLS BHAINSDEHI-23350413315	BETUL-BHAINSDEHI
13	VINAY KUMAR TIWARI	WARD NO 13 PURANI BASTI SHAHGANJ BUDHNI SEH MADHYA PRADESH 466554	84661429	189	EWS	GF/UR/X/OP	M.S.KANHEGAON-23351008803	BETUL-SHAHPUR
14	ABHISHEK KUMAR JAIN	293 VILL GADOLA JAGIR POST GADOLA JAGIR KHURAI SAG MADHYA PRADESH 470117	85065230	210	UR	GF/UR/X/OP	M.S.FOFLYA-23351001603	BETUL-SHAHPUR
15	MAMTA PARIK	WARD NO 5 SHIVPUR ROAD SEONI MALWA SEONI MALWA HBD MADHYA PRADESH 461223	84805889	277	UR	GF/UR/X/F	HS GAVASEN-23350601304	BETUL-CHICHOLI
16	POOJA SEN	1218/1 CIVIL 6 CCHATRASAL WARD NO 6 DAMOH DAM MADHYA PRADESH 470661	84806272	335	OBC	OBC/X/F	HSS KESIYA-23351008506	BETUL-SHAHPUR
17	REENA SAHU	BLOCK EM 27 FLAT NO 101, IBD HALLMARK CITII KOLAR ROAD BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462042	84798560	349	OBC	OBC/X/F	M.S.DABRI-23351007503	BETUL-SHAHPUR
18	RUCHI KORI	KASHI RAM GALI NO 2 SHIV NAGAR COLONY VIDISHA VIDISHA VID MADHYA PRADESH 464001	84782550	1009	SC	SC/X/F	HS MANI-23350210104	BETUL-ATHNER
19	MADHUVAN SINGH	S/O BADRINARAYAN HNO 33K BHEUPURA POST CHARNAL SHYAMPUR SEH MADHYA PRADESH 466665	84784211	1011	SC	SC/X/OP	HS JHAPDI-23351005104	BETUL-SHAHPUR

20	HOMDAS GATHE	107 AT KALDONGRI POST DHAMANGAON BHAINSDEHI BET MADHYA PRADESH 460220	84776710	1082	SC	SC/X/OP	M.S.MAJARVANI-23350419902	BETUL-BHAINSDEHI
21	PALLAVI PAGARE	C- 23 AAKRITI GARDEN NEHRU NAGAR BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462003	84788861	1217	SC	SC/X/F	HS KHOMAI-23350404504	BETUL-BHAINSDEHI
22	TEENA KAWRETI	AMBEDKAR WARD BETUL ROAD AMBEDKAR WARD MULTAI BET MADHYA PRADESH 460661	84778991	1230	ST	ST/X/F	M.S.KASMAR-23350603102	BETUL-CHICHOLI
23	PUSHPA NAGLE	123 AT SAWANGA POST HATNAPUR MULTAI MULTAI BET MADHYA PRADESH 460661	84807231	1265	SC	SC/X/F	M.S.BIJADEHI-23351005802	BETUL-SHAHPUR
24	CHARANDAS GATHE	107 AT KALDONGRI POST DHAMANGAON BHAINSDEHI BET MADHYA PRADESH 460220	84777957	1862	SC	SC/X/OP	M.S.GHISIBAGLA-23351009102	BETUL-SHAHPUR
25	PINKI	VILLAGE KIRRAWADA POST BINA TEHSIL BINA BINA SAG MADHYA PRADESH 470113	85065255	2040	SC	SC/X/F	M.S.JHAPDI-23351005102	BETUL-SHAHPUR
26	MAMTA	66 NAGAR NIGAM COLONY CHHOLA NISHATPURA HUZUR BHP MADHYA PRADESH 462010	84793955	2207	SC	SC/X/F	HSS KABLA-23350200106	BETUL-ATHNER
27	POOJA ADIVASI	WARD NO-10 INDIRA COLONY BADI BADI RSN MADHYA PRADESH 464665	84776665	3985	ST	ST/X/F	HS CHILLOR-23350503704	BETUL-BHIMPUR
28	VANDNA DINKER	XX SIDDHARTH COLONY NEW AMBEDKAR PARK DATIA DATIA DAT MADHYA PRADESH 475661	84868801	3988	SC	GF/SC/X/F	HSS GURUVAPIPRIYA-23350501805	BETUL-BHIMPUR

3. उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छठवां वेतनमान 9300-34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800–103600 के न्यूनतम वेतन रूपये 32800/–. अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क. (ब) के अनुक्रम में म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी । परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वूतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा ।

4. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है । परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक न करने पर म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी ।

5. संबंधित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.205 के नुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों /कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी ।

6. संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी । माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलखों की मूलप्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे । अभिलेखों का सम्यापन मूल दस्तावेज से जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएगें जिसकी सूची निम्नानुसार है :–

I. नियुक्ति आदेश
6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाई नंबर, ई–मेल एड्रेस
II. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं EWS)
III. मूल निवासी प्रमाण पत्र
IV. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैद्य प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है । अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
V. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
VI. शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती प्रति
VII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
VIII. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोरकार्ड
IX. चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी–3/15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट–एक)

7. संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे । नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भतीर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं इसक किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी । नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने

अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

9. परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा।

10. परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।

11. संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्य स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

12. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा।

13. आवासीय विद्यालयों में जहॉ आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

14. इस जारी आदेश में पोस्टिंग प्लेस पर वर्तमान स्थिति में पद रिक्त न होने की दशा में, ऐसे अभ्यर्थी को तत्समय रिक्त पदों वाली अन्य संस्थाओं में पदस्थी का विकल्प रहेगा। नवीन विकल्प पर पदस्थापना मैरिट एवं अन्य मापदंडों अनुसार की जा सकेगी।

विशेष टीपः– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(जे.पी. यादव)
संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

पृ.क्रमांक/शिक्षा.स्था.3/2121/मा.शि./2021/ होशंगाबाद, दिनांक 29/12/21

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार म.प्र. भोपाल
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद।
7. कलेक्टर, होशंगाबाद/हरदा/बैतूल।
8. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग होशंगाबाद/बैतूल/हरदा की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभयर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभयर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
9. जिला कोषालय अधिकारी, होशंगाबाद/बैतूल/हरदा।

10. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला होशंगाबाद/बैतूल/हरदा।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल जिला होशंगाबाद/बैतूल/हरदा।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को अपनी उपस्थिति देवें।

29-12-2021

संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

परिशिष्ट –1

// शपथ पत्र //

प्रारूप फोटो

मैं.....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नि .....
निवासी..... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ–

1. यह मेरा चयन.....पद पर हुआ हैं ।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है ।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया हैं ।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है ।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया हैं ।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविधालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया हैं ।
7. यह कि मैने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियॉ दी है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है, वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं ।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्व असत्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा ।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिर्पोट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् नहीं हुआ हैं ।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता .....सत्यापित करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र की कंडिका कमांक 1 लगायत 9 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक .....को.....में किया गया हैं ।

शपथग्रहिता